रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 1984/माघ 24, 1905
No. 59] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 1984/MAGHA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1984

का. आ. 96(अ) :—भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2) के असाधारण अंक में भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या 164(अ), दिनांक 5 मार्च, 1983 प्रकाशित हुई थी । उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में शब्द "उप-खण्ड (1)" के स्थान पर "उप-खण्ड (3)" रखा जाए ।

[संख्या टीडब्ल्यू/टीजीओ (43)/81]

गोविन्द जे. मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1984

S.O. 96(E).—In the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification No. 164(E) dated 5th March, 1983 published in Extraordinary issue of Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) in place of the words "Sub-Section (1)" appearing in the para of the said Notification, the words "Sub-Section (3)" may be substituted.

[No. TW/TGO (43)/81]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984